WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–11/2020

पवन राव अम्बेडकर पुत्र श्री महावीर प्रसाद, निवासी 911, चतुर्भुजपुर, आई0टी0आई0 मिल एरिया, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। (भारत)

.......आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या: 600/2019
धारा–147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,
188,435,436,120बी,427 भा0द0सं0,
धारा 3 एवं 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान
निवारण अधिनिम एवं धारा 7 क्रि0लॉ0ए0ऐक्ट,
थाना: हजरतगंज, लखनऊ

04–01–2020

1. मुकदमा अपराध संख्या: 600/2019, अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,188,435,436,120बी,427, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट की धारा 7, थाना: हजरतगंज, लखनऊ के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पवन राव अम्बेडकर का जमानत आवेदन–पत्र प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा दिनांक 23–12–2019 को निरस्त होने के उपरान्त, यह जमानत आवेदन–पत्र सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अन्तरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत आवेदन पत्र मे यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है तथा इन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किसी भी संगठन का सदस्य नही है, दिनांक 19–12–2019 को परिवर्तन चौक पर हुई हिंसा अथवा आगजनी मे इनकी संलिप्तता नहीं रही है, इन्हें प्रस्तुत प्रकरण मे झूंठा फंसाया गया है। इनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बतायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

जमानत आवेदन का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से यह तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण का नामजद अभियुक्त है। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था और ऐसे विधि विरुद्ध जमाव द्वारा दिनांक 19–12–2019 को हिंसात्मक प्रदर्शन कर निजी व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुचाया गया तथा पुलिस बल पर जानलेवा हमला कर तोड़फोड़ की गयी और पुलिस बल द्वारा मौके से गिरफ्तार किये गये हैं।

3. आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,

WWW.LIVELAW.IN

फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

4. प्रकरण में श्री धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा, प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज ने थाना हजरतगंज पर इस आशय की लिखित तहरीर दी कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 एवं नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन बिल को लेकर आइसा, रिहाई मंच, वामपंथ, पीएफआई, शराब मुक्ति मोर्चा, नागरिक एकता पार्टी आदि संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा परिवर्तन चौक में दिनांक 19-12-2019 को दोपहर दो बजे भारी संख्या में उक्त दोनों बिलो/अधिनियम के विरोध स्वरूप एकत्र होने के लिए जन सामान्य से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से अपील की जा रही थी, जबकि शहर में धारा 144 दं0प्र0सं0 लागू थी। प्रशासन द्वारा इस प्रकार के जुलूस, धरना व प्रदर्शनों को अवैधानिक व विधि विरुद्ध घोषित करते हुए प्रतिबन्धित कर दिया गया था तथा इसकी सार्वजनिक सूचना प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से तथा सम्बन्धित थानों से प्रचारित व प्रसारित की गयी कि विधि विरुद्ध जमाव एवं भीड़ द्वारा कोई अवैधानिक व विधि विरुद्ध कार्य न किया जा सके। उक्त हेतु जब यह अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में परिवर्तन चौक पर मौजूद थे, तब दोपहर 13.15 बजे अलग-अलग रास्तों से पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार काफी संख्या में लोग परिवर्तन चौक की तरफ आने लगे, जिन्हें वहाँ मौजूद कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलूसों के प्रतिबन्धित होने के बारे में समझाया गया तथा वापस चले जाने को कहा गया, किन्तु उपरोक्त संगठनों के पदाधिकारी के आवाहन पर एकत्रित हुई भीड़ बातों को अनसुना करते हुए उग्र होने लगी तथा सरकारी बस यूपी 33 एटी 0489, न्यूज नेशन मीडिया की ओवी वैन इनोवा यूपी 16 सीटी 8534 व आजतक व न्यूज 18 की गाड़ी में व एक अर्टिगा कार व एक मोटरसाइकिल जिसका नम्बर यूपी 32 जेएफ 6499 मोटरसाइकिल पैशन प्रो व पुलिस कर्मचारियों की स्कूटी व मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी गयी। बेगम हजरत महल पार्क की रेलिंग को तोड़कर अन्दर घुसकर तोड़फोड़ किया गया तथा सहादत अली का मकबरा को भी छतिग्रस्त कर दिया गया व आगजनी करते हुए दहशत का माहौल पैदा कर पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से अवैध असलहों, पेट्रोल बम व लाठी, डण्डा, ईंट पत्थर से जानलेवा हमला किया। उक्त कृत्य से लोक व्यवस्था पूरी तर छिन्न भिन्न हो गयी, चारो तरफ अफरातफरी व मगदड़ मच गयी। करोड़ों रुपयों की सरकारी सम्पत्ति व निजी सम्पत्ति का नुकसान हुआ व सम्पत्ति जलकर राख हो गयी। उपरोक्त घटनाक्रम में प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज, उनके हमराही पुलिसकर्मी, महिला पुलिस बल तथा पुलिस के उच्चाधिकारी काफी चोटिल हो गये तथा सी0ओ0 श्री उपेन्द्र कुमार के सिर में गम्भीर चोटें आयी। मौके पर हमलावरों में से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस बल द्वारा आंसू गैस, रबर बुलेट तथा शार्ट रेन्ज सेल से चार कारतूस भी फायर किये गये। इसके अतिरिक्त लांग रेन्ज सेल के भी अश्रुगैस, मिर्ची हथगोला तथा फायर भी किये गये। पत्थरबाजी में कांस्टेबिल

WWW.LIVELAW.IN

अंकुर कुमार की मैगजीन स्टड टूट गयी। मौके पर आवेदक/अभियुक्त पवन राव अम्बेडकर सहित कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तहरीर में यह भी अंकित किया गया कि उक्त घटनाक्रम 13:15 बजे से देर शाम तक चलता रहा। लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न रही तथा तनाव बना हुआ है। परिवर्तन चौक, हजरतगंज व आस-पास की सभी दुकानें दोपहर से बन्द है, मेट्रो रेल सेवा भी प्रभावित हुई है।

उपरोक्त आधार पर दिनांक 19-12-2019 को 23:17 बजे आवेदक/अभियुक्त पवन राव अम्बेडकर सहित कुल 34 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,188,435,436,120बी,427, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा क्रिमिनल ला एमेन्डमेण्ट ऐक्ट की धारा 7, की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हजरतगंज पर अंकित की गयी।

5. प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 19-12-2019 के अपरान्ह 13:15 बजे से सायंकाल तक की बतायी जाती है तथा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन 23:17 बजे अंकित करायी गयी है।

प्रकरण की केस डायरी के पर्चा संख्या-10 दिनांकित 27-12-2019 में विवेचक ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16-12-2019 को संलग्न किया है। उपरोक्त आदेश 6 पृष्ठों में है तथा सन्दर्भित आदेश में यह उल्लिखित है कि "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीराम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में निर्णय के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, - - - - -कतिपय असामाजिक, जातिवाद, साम्प्रदायिक व शरारती तत्व उपद्रव व हिंसात्मक कार्यवाही करके लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, - - - - -" तदैव लोक परिशान्ति भंग को रोकने के उद्देश्य से प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया गया, जिसमें कुल 38 बिन्दु समाहित थे। उपरोक्त विस्तृत सूचना से जन सामान्य को अवगत कराने हेतु स्थानीय समाचार-पत्रों में ऐसा कोई प्रकाशन किया गया हो, इस सन्दर्भ में अब तक की विवेचना में प्रकरण के विवेचक द्वारा कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है।

न्यायालय के समक्ष दौरान तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से यह कथन किया गया है कि अब तक की विवेचना में घटनाक्रम में की गयी आगजनी के सन्दर्भ में आवेदक/अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है तथा इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण की केस डायरी के पर्चा सख्या-1 में कथित रूप में चोटहिल पुलिस अधीक्षक, नगर (पूर्वी) श्री सुरेश चन्द रावत को आयी हुई चोटें सामान्य प्रकृति की बतायी गयी हैं, जबकि उप निरीक्षक श्री विजय शंकर तिवारी, उप निरीक्षक प्रियम्बन्द मिश्रा को मात्र दर्द की शिकायत होना बतलाया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19-12-2019 से अभिरक्षा में है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपराध की प्रकृति एवं मामले की परिस्थितियों में उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आधार

WWW.LIVELAW.IN

जमानत पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **पवन राव अम्बेडकर** का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **पचास हजार रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी राशि की **दो** जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर इन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:–

(1) अभियुक्त विवेचक द्वारा आहूत किये जाने की स्थिति मे उपस्थित होंगे तथा विवेचना में सहयोग करेंगे।

(2) अभियुक्त किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होंगे।

(3) अभियुक्त प्रकरण में घटनाक्रम से सम्बन्धित किसी भी साक्षी को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

4.1.2020

(संजय शंकर पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।

दिनांक: 04–01–2020

शिवराम निगम, स्टेनो/–